कार्यालय, नगर पंचायत, हिसुआ (नवादा)

पत्रांक 646

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, हिसुआ (नवादा)

सेवामें,

वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी
बिहार, पटना।

हिसुआ, दिनांक •

विषय : अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 250/2011–12 (वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2009–10) का अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग : भवदीय पत्रांक LA/sur./247 दिनांक 15/09/2011

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नगर पंचायत, हिसुआ (नवादा) का वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक का किये गये अंकेक्षण का अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 250/2011–12 का कण्डिकावार अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर इसके साथ संलग्न कर भवदीय सेवा में समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :
यथावत्

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, हिसुआ,
(नवादा)

ज्ञापांक 646 /हिसुआ, दिनांक 26.7.12

प्रतिलिपि : सरकार के उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, हिसुआ,
(नवादा)

कार्यालय, नगर पंचायत, हिसुआ (नवादा)

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 250/11–12 (वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक) का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रम सं॰	कण्डिका सं॰	अंकेक्षण आपत्ति का सारांश	अनुपालन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	1	प्रस्तावना	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।	
2	2	प्रशासन	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।	
3	3	लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।	
4	4	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कण्डिका 14 (1), 14(2) का अनुपालन सुनिश्चित कर दिया गया है। इसे अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा। कण्डिका 17(1) एवं 17(2) का अनुपालन किया जा चुका है तथा इसे अंकेक्षक दल के समक्ष प्रस्तुत भी किया जा चुका है तथा अंकेक्षक दल द्वारा इस कण्डिका को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। कण्डिका 21(1), 21(2) एवं 21(3) का अनुपालन कर अंकेक्षक दल के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा इन कण्डिकाओं को निरस्त करने की अनुशंसा भी अंकेक्षक दल द्वारा की गई है। अतः कण्डिका निरस्त की जा सकती है।	
5	5	लेखा परीक्षा की मुख्य उपलब्धियाँ	आगे की कंण्डिकाओं में कण्डिकावार स्पष्ट किया गया है। अतः कण्डिका निरस्त की जा सकती है।	
6	6	अधिदृश्य	निदेशानुसार नगर पंचायत, हिसुआ की बोर्ड की बैठक दिनांक 06/03/12 के प्रस्ताव सं॰ 02 के द्वारा गृह करों इत्यादि का पुनरीक्षण किया जा चुका है तथा इसे इस कार्यालय में पत्रांक 202 दिनांक 02/04/2012 के द्वारा सरकार के पास अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। सरकार के अनुमोदनोपरान्त त्वरित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नये आय श्रोतों के सृजन एवं संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। अतः कण्डिका निरस्त की जा सकती है।	

7	7	अन्तेशेष	दिनांक 31/03/2010 को लेखापाल की रोड़बही के अनुसार अन्तशेष 88,08,043.40 (जोड़े) दिनांक 31/03/2010 तक निर्गत चेकों की राशि, जिसे बैंक खाते से नहीं निकाली गई 3,37,700.00 31/03/2010 को बैंक खाता के अनुसार अन्तशेष 91,45,749.40 सही पाया गया और रोकड़बही में स्पष्ट रूप से अंकित है जिसे अंकेक्षक दल ने भी अवलोकन किया है। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
8	8	आय–व्यय (बजट)	अंकेक्षण दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
9	9	निरस्त	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।	
10	10	आन्तरिक लेखा परीक्षा	कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा नियमित रूप से नगर पंचायत, हिसुआ के लेखों की आन्तरिक जाँच की जा रही है पाई गई त्रुटियों का भी निराकरण कराया जा रहा है तथा भविष्य में भी जाँच पड़ताल की जाती रहेगी। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
11	11	सरकारी अनुदान रु॰ 46,65,331.00	निदेशानुसार अनुदान पंजी का संधारण कर लिया गया है, इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा। दिनांक 31/03/2010 तक शेष अनुदान की राशि मो॰ 46,65,331.00 का उपयोग किया जा चुका है। इसे अगले परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
12	12	गृहकर इत्यादि का पुनरीक्षण नहीं।	निदेशानुसार नगर पंचायत, हिसुआ की बोर्ड की बैठक दिनांक 06/03/2012 के प्रस्ताव सं॰ 02 के द्वारा गृह करों का पुनरीक्षण किया जा चुका है तथा इसे इस कार्यालय के पत्रांक 202 दिनांक 02/04/2012 के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पास अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। सरकार के अनुमोदनोपरान्त त्वरित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	

13	13	गृहकर, शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की बकाया राशि रुपये 4,03,868.13	निदेशानुसार कर वसूली का कार्य तत्परतापूर्वक किया जा रहा है। पर्याप्त कर्मी के अभाव में 4% कमीशन के आधार पर दो कमीशन एजेण्ट को वसूली हेतु प्राधिकृत किया गया है और कर वसूली में उत्साहजनक वृद्धि हो रही है, जिसे अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा। अतः कण्डिका निरस्त की जा सकती है।	
14	14	वसूली गई राशि की प्रविष्टि रोकड़पाल की रोकड़ बही में नहीं पाई गई रु॰ 1,00,015.00	वसूली गई राशि रु॰ 1,00,015/– (एक लाख पन्द्रह रुपये) नमर पंचायत के खाता सं॰ 0685000100173418 में चालान नं॰ 23 दिनांक 27/11/2009 को जमा किया गया है और इसकी प्रविष्टि भी संबंधित बैंक खाते में अंकेक्षक दल के द्वारा देखा गया। निदेशानुसार अक्त राशि की प्रविष्टि रोकड़पाल की रोकड़ बही में संधारित कर ली गई है, जिसे अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
15	15	बकाया दुकान किसाया 31/03/2010 तक रु॰ 2,47,050.00	बकाये राशि की वसूली का कार्य चल रहा है और आवश्यकतानुसार अपेक्षित कार्रवाई के लिए निलाम–पत्र वाद दायर किया जा रहा है।	
16	16	सरकारी भवनों के विरुद्ध गृह–कर इत्यादि की दिनांक 31/03/2010 तक की कुल बकाया रु॰ 91,631.75	सरकारी भवनों की बकाया गृहकर की राशि अदायगी हेतु संबंधित विभागों के सक्षम पदाधिकारी से पत्राचार एवं व्यक्तिगत सम्पर्क/संवाद स्थापित कर राशि की वसूली की जा रही है, जिसे आगामी लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जायेगा। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
17	17	भयावह एवं खतरनाक तिजारत की अनुज्ञप्ति शुल्क का बकाया राशि दिनांक 31/3/2010 तक रु॰ 65,262/–	टैक्स दारोगा द्वारा बकाया राशि की वसूली की जा रही है और उन्हें प्रत्येक 15 दिनों पर प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा।	
18	18	बन्दोबस्तधारकों से तीन प्रतिशत स्टैम्प फीस की राशि की वसूली नहीं 31/03/2010 तक रु॰ 1,12,660.53	संबंधित विभागीय आदेश कार्यालय के संज्ञान में नहीं रहने के कारण ही मुद्रांक शुल्क की वसूली तत्कालीन बन्दोबस्तधारकों से नहीं की जा सकी थी। उक्त आदेश के संज्ञान में आते ही दिनांक 31/03/2010 के पूर्व के बन्दोबस्तधारकों को तीन प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की राशि जमा करने का नोटिस दिया गया है और वर्तमान में बन्दोबस्तधारकों से नियमानुसार तीन प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की राशि की वसूली की जा रही है, जिसे आगामी लेखा परीक्षा में समर्पित किया जायेगा। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	

19	19	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि राज्य सरकार के खाते में जमा नहीं दिनांक 31/03/2010 तक रु॰ 4,87,632.00	नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति कमजोर रहने के कारण ही राशि जमा नहीं की जा सकी। निदेशानुसार चालु वित्तीय वर्ष में राशि जमा कर दी जायेगी। आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा। अतः कण्डिका निरस्त की जा सकती है।	
20	20	स्वामित्व, वाणिजय कर (वैट) एवं आय–कर की कटौति की गई राशि सरकारी खाते में जमा नहीं। दिनांक 31/03/2010 तक रु॰ 4,21,646.00	निदेशानुसार स्वामित्व, वाणिज्य–कर (वैट) एवं आयकर की क़टौति की गई राशि संबंधित विभागों में जमा किया जा चुका है, जिसे आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा। अतः कण्डिका निरस्त की जा सकती है।	
21	21(1)	**श्रमिक उपकर की कटौति नहीं**	योजना सं. 01/2008–09 नगर पंचायत, हिसुआ के सभी 17 वार्डों में दो–दो अर्थात् कुल 34 चापाकलों का अधिष्ठापन कार्य के संवेदक श्री सुबोध कुमार के द्वारा सभी 34 चापाकलों का अधिष्ठापन किया जा चुका है जिसकी मापी पुस्तिका संधारित है स्वीकृत प्राक्कलित राशि मो॰ 12,50,520.00 के विरुद्ध मापी पुस्तिका के आधार पर कुल मो॰ 10,68,208.00 का भुगतान किया गया। इसलिए कार्य अपूर्ण छोड़ देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए संवेदक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
	21(2)		कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा सभी 17 वार्डों में अधिष्ठापित दो–दो चापाकलों अर्थात् कुल 34 चापाकलों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है, जिसकी पुष्टि मापी पुस्तिका से भी होती है। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
	21(3)		श्रम उपकर की निर्धारित एक प्रतिशत की राशि की कटौति सम्बन्धी विभागीय आदेश कार्यालय के संज्ञान में नहीं रहने के कारण श्रम उपकर की क़टौति संबंधित संवेदक से नहीं की जा सकी/पुनः निदेशानुसार उक्त राशि मो॰ 10,682.80 जमा करने हेतु संबंधित संवेदक से पत्राचार किया गया है तथा भविष्य में इस आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
22	22	निरस्त	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।	

23	23	अपूर्ण योजना में निष्फल व्यय योजना सं॰ 06/2008–09 योजना का नाम – हिसुआ प्रखण्ड के सामने पोखर में पार्क का निर्माण। संवेदक का नाम – श्री प्रदुम्न कुमार स्वीकृत प्राक्कति राशि मो॰ 7,34,500.00 निविदा की राशि मो॰ 6,24,325.00 मापी पुस्त की राशि दिनांक 31/03/2011 तक मो॰ 6,10,509.00 संवेदक की भुगतान की गई राशि मो॰ 6,10,509.00 योजना की भौतिक स्थित – अपूर्ण	इस योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका सत्यापन मुख्य पार्षद द्वारा किया गया है और योजना की मापी पुस्तिका में संधारित है। अंतिम भुगतान भी संवेदक को किया जा चुका है। इसे आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा। अतः कण्डिका को निरस्त किया जा सकता है।	
24	24	मूल्य वर्द्धित कर (वैट) की कटौति नहीं किये जाने के कारण अधिक भुगतान रु॰ 13,748.00	ट्रैक्टर आपूर्तिकर्त्ता श्रीराम इंजीनियरिंग ट्रैक्टर्स, नवादा को चार प्रतिशत वैट की राशि मो॰ 14,298,/– (चौदह हजार दो सौ अन्ठानबे रुपये) मात्र जमा करने हेतु पत्राचार किया गया है। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
25	25	शहर की विशेष सफाई पर व्यय रु॰ 4,68,853.00	कण्डिका में उल्लेखित सभी बिन्दुओं से संबंधित कागजात एवं संचिका कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा। अतः कणिडका निरस्त किया जा सकता है।	
26	26	नगर पंचायत के कर्मचारियों को अति पुराना बकाया वेतन का भुगतान रु॰ 12,79,857.00	नगर पंचायत के कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/परिपत्रों के आलोक में बकाया वेतनादि का भुगतान नियमानुसार संबंधित पंजियों में स्पष्टतः संधारित है, जिसे आगामी लेखा परीक्षा के समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	

27	27	रात्रि प्रहरी को अनियमित भुगतान रु॰ 26,850.00	कार्यालय का रात्रि में सुरक्षा व्यवस्था को टाला नहीं जा सकता था और यह अपरिहार्य भी था, जिसे नगर पंचायत की बोर्ड की बैठक दिनांक 20/11/2007 के द्वारा प्रस्ताव पारित कर अनुबंध पर रात्रि प्रहरी को संलग्न किया गया तथा इस आवश्यक पद की सृजन की स्वीकृति हेतु सरकार से इस कार्यालय के पत्रांक 439 दिनांक 23/07/2010 द्वारा अनुरोध किया गया है तथा समय–समय पर सरकार को स्मारित भी किया जा रहा है। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
28	28	स्वीकृत पद एवं उनके विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति	निदेशानुसार नगर पंचायत, हिसुआ की बोर्ड की बैठक दिनांक 07/05/2010 के पारित प्रस्ताव अन्यान्य (घ) के आलोक में सृजित पदों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण आवश्यक पदों के सृजन हेतु कार्यालय पत्रांक 439 दिनांक 23/07/2010 द्वारा सरकार से अनुरोध किया जा चुका है तथा समय–समय पर स्मार–पत्र भी दिये जा रहे है। अतः कण्डिका को निरस्त किया जा सकता है।	
29	29	अति पुराना बकाया अग्रिम	पूर्व में प्रेषित स्पष्टीकरण के आलोक में प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना के पत्रांक– LA. Sur/compliance/13933/136 दिनांक 01/7/2011 के द्वारा इस कण्डिका को निरस्त किया जा चुका है।	
30	30	कार्यपालक के साथ चर्चा	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।	
31	31	लेखा परीक्षा का परिणाम	अंकेक्षक निदेशों का पालन किया जा रहा है।	
32	32	सामान्य अभ्युक्ति	अभ्युक्ति में दिये गये निदेशों का पालन किया जा रहा है, जिसे आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, हिसुआ
(नवादा)